अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, चाण्डिल

लक्ष्मी मनी मांझी उर्फ
लखी मांझी एवं अन्य
बनाम
जितु मांझी एवं अन्य

धारा– 144 द0प्र0स0 मिस केस न0– 167/2020

–: आदेश :–

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
1	2	3
15.12.2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक लक्ष्मी मनी मांझी उर्फ लखी मांझी एवं अन्य पति– नन्दलाल मांझी, ग्राम– जानुम, थाना– नीमडीह, जिला– सरायकेला–खरसावाँ के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रथम पक्ष के द्वारा खरीदी गई जमीन पर द्वितीय पक्ष के जितु मांझी एवं अन्य द्वारा जबरन दखल करने का प्रयास किया जा रहा है। शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए उभय पक्षों को धारा–144 द0प्र0स0 के अन्तर्गत कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। **<u>विवादित भूमि का विवरण</u>** मौजा– जानुम, थाना सं0– 78, खाता सं0– 160, प्लॉट सं0– 848, रकवा– 10 डी0 जिसकी चौहदी– उ0– रोड, द0– जेठु महतो, पू0– बुधु सिंह पातर, प0– दाता नीज एवंप्लॉट सं0– 849, रकवा– 9.5 डी0, जिसकी चौहदी– उ0– गीरीश महतो, द0– जेठु महतो, पू0– दाता की नीज, प0– गीरीश महतो। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उक्त विवादित भूमि आवेदक के खरीदी गई भूमि है जिससे संबंधित विक्रय दलील की छायाप्रति, नामांतरण की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न किया गया। जो कि श्रीमति लक्ष्मी मनी मांझी उर्फ लखी मांझी, पति– श्री नन्द मांझी, श्रीमति रोहिन मांझी, पति– अघनु मांझी, गांव– जानुम, थाना– नीमडीह के नाम पर नामांतरण मुकदमा सं0– 15/08–09, दिनांक– 16.04.2008 के द्वारा नामांतरण किया गया। द्वितीय पक्ष की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया जिसके माध्यम से विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उक्त विवादित भूमि द्वितीय पक्ष के पूर्वजों की रैयती भूमि है और शांतिपूर्ण ढंग से उक्त विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है। द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि उक्त विवादित भूमि पर पूर्व से ही मकान और कुँआ का	

2

निर्माण कराया गया है, जिसका उपयोग द्वितीय पक्ष के लोग करते आ रहे है और वे अपने रैयती भूमि पर ही मकान निर्माण का कार्य कर रहें है परन्तु भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख में धारित कागजातों के अध्ययन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि उक्त वाद भूमि के सीमांकन से संबंधित है।

अतः प्रथम पक्ष को निदेश दिया जाता है कि उक्त विवादित भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन अंचल कार्यालय, नीमडीह में दायर करें एवं उक्त भूमि पर निर्मित मकान, कुँआ एवं चाहरदिवारी को छोड़कर सीमांकन करना सुनिश्चित करेंगे। द्वितीय पक्ष को निदेश दिया जाता है कि सीमांकन पूर्ण होने तक उक्त विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है एवं अभिलेख बंद किया जाता है।

लेखापित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चाण्डिल।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चाण्डिल।